



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-333

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 286129 दिनांक 06/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Change in Land Use जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Bhouri Lal S/o Pura Ram	श्री भौरी लाल पुत्र श्री पुरा राम	B-466-A (WEST- PART)	137.50 SQ. METER	JDA	RAM NAGARIYA VISTAR Sector/Block- B	Change in Land Use	आवेदक श्री भौरी लाल पुत्र श्री पुरा राम द्वारा जविप्रा की योजना राम नगरिया विस्तार के ब्लॉक-बी के भूखण्ड संख्या बी-466-ए (पश्चिमी पार्ट) क्षेत्रफल 137.50 व.मी. के भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या बी-466-ए (पश्चिमी पार्ट) क्षेत्रफल 137.50 व.मी. का लीज होल्ड से फ्री-होल्ड आवासीय पट्टा दिनांक 30.09.2023 को आवेदक के पक्ष में जारी किया गया है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Change in Land Use जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Bhourilal S/o Pura Ram को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |